न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पु.न. 30 / 2020

उनवान

1. राधामोहन पुत्र स्व0 श्री नारायण, जाति महाजन, निवासी गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, हालवासी प्लाट नम्बर 75 शिव मार्ग कॉलोनी मानसरोवर कालवाड रोड झोटवाडा, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मनमोहन पुत्र स्व0 श्रीनारायण, जाति महाजन, निवासी गोविन्दगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 16.12.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोविन्दगढ पटवार हल्का गोविन्दगढ भू.अभि.निरीक्षण क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील चौमूं जिला जयपुर मे स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 570/2 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 572 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल खसरा किता 4 का कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की साम्मलाति खातेदारी भूमि रही है उक्त साम्मलाति खोतेदारी भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सहमति के आधार पर तकासमे हेतू अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 5.6.2008 को क्रमांक संख्या 3073 पर तकासमा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि का विभाजन कर दिया गया मुताबिक विभाजन प्रार्थी व वादी के हिस्से निम्न प्रकार खातेदारी भूमिया रही:–

अप्रार्थी संख्या 1 मे

खसरा नम्बर	रकबा	वर्तमान खसरा नम्बर	रकबा
569	0.01	569	0.01
570/2/1	0.13	2074/570	0.13
570/2/3	0.07	2075/570	0.07
570/2/6	0.19	2076/570	0.19
/637	0.02		0.02
किता 5 रकबा 0.42			

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:38:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के हिस्से में

खसरा नम्बर	रकबा	वर्तमान खसरा नम्बर	रकबा
570/2/2	0.23	2074/570	0.23
570/2/2	0.20	2076/570	0.20
किता 2 रकबा 0.43			

उपखण्ड अधिकारी चौमूँ जिला जयपुर

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की साम्लाती भूमियां

खसरा नम्बर	रकबा	वर्तमान खसरा नम्बर	रकबा
570/2/4	0.23	2075/570	0.23
572/2	0.02	572	0.02
किता 2 रकबा 0.11			

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मुताबिक बटवार दिनांक 5.6.2008 राजस्व रिकोर्ड मे अकित सही किर दिया गया लेकिन हाल राजस्व नक्शे मे तरमीम करते समय खसरा नम्बर 2074/570 की पश्चिमि सीमा रेखा को रकबे अनुसार नही बनाई जाकर पूर्वी ओर दबाकर बना दी गई तथा खसरा नम्बर 2076/570 की उतरी सीमा रेखा को दक्षिणी ओर दबाकर बना दी गई जिसे प्रार्थी की मुख्य रोड पर फ्रंट कम हो गया तथा खसरा नम्बर 2074/570 व खसरा नम्बर 2076/570 के हाल राजस्व नक्शे का भी जमीन कम हो गई तथा खसरा नम्बर 2044/570, 2047/570 जो की अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से मे आई हुई है राजस्व नक्शे को बढ़ा दिया गया है।

मुताबिक तकासमा हाल राजस्व नक्शे मे गलत इन्द्राज करने से प्रार्थी के हाल राजस्व नक्शे के रकबे मे अन्तर आ जाने से बेवजही प्रार्थी की काफी भूमि कम हो गई है जिस को दुस्त करवाने का प्रार्थी कानुनी अधिकारी है। मुताबिक तकासमा राजस्व कारकुनानू द्वारा हाल राजस्व नक्शे मे अकित किये जाने थे लेकिन राजस्व कारकानुनो द्वारा मुताबिक तकासमा हाल राजस्व नक्शे मे तरमीम नही किये जाकर नये प्रकार से तरमीम कर दि गई जो हाल राजस्व नक्शे की अकित बमुकाबले प्रार्थी प्रारम्भ ही शुन्य अवैध है जिस को दिनांक 15.7.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 2047/570, 2074/570, 2076/570, 2044/570 थे हाल राजस्व नक्शे मे गलत इन्द्राज के आधार पर कम हुई भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 2047/570, 2044/570 के हाल राजस्व नक्शे मे बढी हुई भूमि के इन्द्राज को दुस्त करनावे से इन्कार का दिया था मौके पर गलत इन्द्राज के आधार पर पुख्ता निर्माण करने व आगे बेचान करने की धमकी दी जिस पर प्रार्थी हाल राजस्व नक्शे के गलत इन्द्राज को दुरस्त करवाने हेतू अप्रार्थी संख्या 2 से मिला तो अप्रार्थी संख्या 2 ने अदालज मे चारा जोही करने हेतू कहा जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मान्य न्यायालय से निवेदन है कि खसरा नम्बर 2074/570 की पश्चिमि सीमा रेखा तथा खसरा नम्बर 2076/570 की उतरी सीमा रेखा को मुताबिक तकासमा के रकबे के अनुसार दुरस्त करने के आदेश अप्रार्थी संख्या 2 पर किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंध जरिये स्थगन इस कदर पांबध किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 खसरा नम्बर 2074/570, 2044/570, 2047/570, 2076/570 के हाल राजस्व नक्शे के गलत इन्द्राज के आधार पर न तो मौके पर निर्माण करे, ना ही बेचान करे, ना ही उक्त कृत्य स्वय करे, अपने रिश्तेदार, मुलाजिम, कर्मचारी के जरिये करवाये।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश [illegible] है कि मुताबिक बंटवारा दिनांक 05.06.2008 के अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शे में [illegible] सही की गई है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। मुताबिक तकासमा हाल राजस्व नक्शे में सही इन्द्राज किये गये है तथा प्रार्थी राजस्व नक्शे को दुरूस्त करवाने का कतई भी अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट गोविन्दगढ में पेश हुई। बहस उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। प्रा0 पत्र, *दस्तावेज* व बहस को ध्यान से अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व कारकानुनों द्वारा मुताबिक तकासमा हाल राजस्व नक्शे मे तरमीम नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:58:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर

किये जाकर नये प्रकार से तरमीम कर दि गई त्रुटी/गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा है।

राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधान इस प्रकार है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई भी राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपनें निरीक्षण के दौरान नोटिस करें, इस सम्बध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि धारा 132 से 137 के प्रावधान वार्षिक अभिलेखें से संबंधित है। धारा 132 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में वार्षिक रजिस्टर को परिभाषित किया गया है।

धारा 136 विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर में होने वाली लिपिकीय भूल/त्रुटि के सुधार तक ही सीमित है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मुताबिक तकासमा हाल राजस्व नक्शे मे तरमीम नही किये जाकर नये प्रकार से तरमीम कर दि गई त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नही आता। अतः प्रार्थी का प्राथ्रना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:38:30 IST
Reason: SelfAttested